



**कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apccfdevjkh@jharkhandmail.gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक :- 349

दिनांक :- 8/3/18

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची

सर्वोच्च प्राथमिकता
E-mail

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर/संथाल परगना/दक्षिणी छोटानागपुर/शोध एवं प्रशिक्षण/कार्य नियोजना/ एफ0डी0ए0/विशेष परियोजना/कैम्पा/निदेशक, व्याघ्र परियोजना/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/हजारीबाग/ दुमका/जमशेदपुर/ पलामू/मेदिनीनगर/बोकारो/मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड, राँची/सभी प्रादेशिक वन संरक्षक/सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी, प्रादेशिक प्रमंडल एवं सामाजिक वानिकी प्रमंडल/वन्यप्राणी प्रमंडल।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2017-18 के मार्च माह में राशि की निकासी के लिए 15 प्रतिशत की अधिसीमा के संबंध में।

प्रसंग :- योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-वित्त-19/वित्तीय नियंत्रण/3001/2015-488/वि0 दिनांक-05.03.2018।

महाशय,

प्रसंगाधीन पत्र द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखण्ड सरकार द्वारा वेतन एवं भत्तों को छोड़कर शेष अन्य मदों के लिए माह मार्च में राशि की निकासी की अधिसीमा पन्द्रह प्रतिशत कर दी है। इस कार्यालय द्वारा योजना मद के अन्तर्गत उप-आवंटित राशि की निकासी में यदि कठिनाई हो तो योजनावार एवं प्रमंडलवार निकासी की जानेवाली राशि से संबंधित समेकित प्रतिवेदन कारण सहित दिनांक-11.03.2018 तक अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए, ताकि विभाग के माध्यम से योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखण्ड सरकार से Relaxation के लिए अनुरोध किया जा सके।

सभी नियंत्री पदाधिकारी कृपया यह सुनिश्चित करेंगे, कि अधीनस्थ प्रमंडलों से संबंधित समेकित प्रतिवेदन ही भेजा जाए।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।